राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 27(34)न्याय/2015 जयपुर, दिनांक 31/10/2017

:: आदेश ::

द कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिवीजन एण्ड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कॉर्ट्स एक्ट, 2015 के अन्तर्गत संस्थित वाणिज्यिक विवादों में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा यह आदेश प्रदान किया जाता है कि आदेशिका शुल्क से संबंधित नियमों में संशोधन होने तक, उपर्युक्त विवादों से संबंधित वाद, आवेदन पत्र एवं अपील के प्रस्तुतीकरण के समय न्यायालय शुल्क के साथ ही एक मुश्त आदेशिका शुल्क की नियमानुसार गणना की जाकर ई–स्टाम्प के साथ एक ही ई–प्रक्रिया के द्वारा भुगतान किया जा सकेगा, जिसका आवश्यकतानुसार विचारण के दौरान उपयोग किया जा सकेगा। न्यायालय विचारण समाप्त होने पर आदेशिका शुल्क का उपयोग नही होने की स्थिति में संबंधित पक्षकार के निवेदन पर ऐसे शुल्क का प्रतिदाय प्रमाण–पत्र (Refund Certificate) जारी कर सकेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
8. पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणांलय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
15. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

31.10.17

(डॉ0 कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव